तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Case no- 191/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप-1 अप्रार्थी सं. 1 व 2 अनु। अप्रार्थी सं. 3 को जारी नोटिस तामील तावकील कुर्की की रिपोर्ट के आधार पर बाद तामील प्राप्त। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा है न्यायहित समय दिया जाकर पत्रावली आदेश दिनांक 25/3/26 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
25/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अनु-1 अप्रार्थीगण अनु। वकील प्रार्थी बहस बहस न्यायालय में अनु-1 वकील प्रार्थी को रियायत दी जाती है कि आगामी तारीख पेशी पर वास्ते बहस न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित आवे अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। वकील प्रार्थी मांगते है। पत्रावली आदेश वास्ते बहस दिनांक 30/3/26 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
30/3/26	**वकील मंडल ने न्यायालय में उपस्थिति नही देने का निर्णय लिया है। पेशी हलतवा होकर पत्रावली दिनांक 8/4/26 को पेश हो।**	
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनु। अप्रार्थी अनु। पत्रावली वास्ते बहस नियत है तथा वकील प्रार्थी लम्बे समय से न्यायालय में अनुपस्थित है। वकील को न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त भी हेतु बार-बार अवसर लगवाये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी को सर्वथा अन्तिम अवसर वास्ते बहस इस रियायत के दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर वास्ते बहस न्यायालय में अवश्यक रूप से उपस्थित आवे अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली आदेश वास्ते बहस दिनांक 15/4/26 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
15/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनु-1 अप्रार्थी अनु। प्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बार-बार अवसर लगवाये जाने के उपरान्त भी अनु-1 वकील प्रार्थीगण को पूर्व में पर्याप्त अवसर व रियायत दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी याचिका वकील प्रार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी - अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली में हुए निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर, बाद तकमील सरेंडर से एक अंक बेकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	